(69)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 72/1995 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–9–1995 पारित द्वारा प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक निगरानी आरएन/12–5/आर/84/93.

1–रामचन्द्र पुत्र भैरूलाल
2–लक्ष्मीनारायण पुत्र भैरूलाल
3–सीताबाई पुत्री भैरूलाल
निवासीगण ग्राम रणायरा तहसील जावरा
रतलाम

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–पन्नालाल पुत्र हंसराज
2–चम्पालाल पुत्र हंसराज
3–भंवरीबाई बेवा हंसराज
4–जगदीश पुत्र हंसराज
5–देवीलाल पुत्र हंसराज
6–मंगलेश्वर पुत्र हंसराज
7–रामकन्या बाई पुत्री हंसराज
8–दुर्गाबाई पुत्री हंसराज
9–कैलाशबाई पुत्री हंसराज अव्यस्क
द्वारा संरक्षक माता खुद भंवरीबाई बेवा हंसराज
सभी निवासीगण ग्राम रणायरा तहसील जावरा
रतलाम

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0अवस्थी व श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषकगण, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/12/12 को पारित)

यह रिव्यु आवेदकगण द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक आरएन/12–5/आर/84/93 में पारित आदेश दिनांक 19–9–1995 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण ने वर्ष 1987 में संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करते हुये दिनांक 13–6–1990 को आदेश पारित किया गया, लेकिन इसके पूर्व ही आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि वे दीवानी न्यायालय जाना चाहते हैं । अतः वे दिनांक 14–6–1990 को दीवानी न्यायालय में स्थगन हेतु गये और दीवानी न्यायालय ने दिनांक 11–7–1990 को आदेश पारित किया कि यथास्थिति रखी जाये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–1–1991 को आदेश पारित करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर जिला रतलाम के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 10–10–1991 को आदेश पारित कर निगरानी अग्राह्य की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–2–1993 आदेश पारित करते हुये निगरानी अमान्य की गई। अपर आयुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19–9–1995 को आदेश पारित करते हुये दीवानी न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया ।

इस न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा दीवानी न्यायालय के निराकरण तक सभी कार्यवाही अभिलेख से स्थगित रखने का आदेश दिया है जबकि दीवानी न्यायालय द्वारा दिनांक 11–7–1990 को यथा स्थिति का आदेश दिया गया है ऐसी स्थिति में दीवानी न्यायालय के आदेश के अनुसार उस समय जो स्थिति थी उसे कायम रखने का आदेश होना चाहिये था, यह अभिलेख से स्पष्ट है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार का निर्णय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका है इसलिये तहसीलदार के निर्णय के पूर्व की स्थिति यथावत् कायम रखने का आदेश देना चाहिये था, यह भी अभिलेख से स्पष्ट है । यह भी कहा गया कि दीवानी न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद तहसील ने बटवारे का आदेश पारित कर दिया है और बटवारे का अमल कागजात में हो गया है और उस आधार पर आवेदकगण अनावेदकगण की भूमि बेचने को तत्पर है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार निगरानी तो निरस्त किये जाने का आशय निकलता है किन्तु निर्णय के दिनांक की स्थिति कायम रखे जाने के आदेश से तहसीलदार ने निर्णय के आधार पर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा जो अनुविभागीय अधिकारी का निर्णय कायम रहा था उसके अनुसार जो कागजात में इंद्राज हो गये थे उनकी स्थिति भी यथावत् कायम रहती है जो निर्णय की भावना के विपरीत है । अंत में उनके द्वारा रिव्यु आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मूल निगरानी अस्वीकार कर यह स्पष्ट किया जाये कि दीवानी न्यायालय के अंतिम निर्णय तक दीवानी न्यायालय के आदेश दिनांक 11–7–1990 की व तहसील के निर्णय के पूर्व की स्थिति यथावत् रखी जावे ।

4– अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में बंटवारे की कार्यवाही इस आधार पर स्थगित की थी कि उभयपक्ष के मध्य व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है, तब से यह प्रकरण लंबित है । आवेदक अभिभाषक को व्यवहार न्यायालय की अद्यतन स्थित ज्ञात नहीं है । पिछले लगभग 22 वर्ष की अवधि में सिविल में निश्चित रूप से कोई निर्णय हुआ होगा । अतः न्यायहित में प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को आहूत कर अद्यतन स्थिति ज्ञात कर प्रकरण का पुनः निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.